



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042025-262293  
CG-DL-E-04042025-262293

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1596]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2025/चैत्र 14, 1947

No. 1596]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2025/CHAITRA 14, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2025

सं. 27/2025

(आय-कर)

का.आ. 1615(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 197क की उपधारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि धारा 80गगक की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट ऐसी रकम के संदाय पर अधिनियम की धारा 194ड.ड. के अधीन कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी, जो किसी ऐसे निर्धारिती द्वारा जो व्यक्ति है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात निकाली गई है।

[फा. सं. 370142/13/2025-टीपीएल]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव, (कर नीति और विधान)